

फर्द अहकाम

मुकुल शर्मा

बनाम वीकेसा वजी

नाम न्यायालय

केस संख्या

173/2024

नाम न्यायालय
केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पत्रा उपा वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की वृत्त 7.2.55 हुनी गई। वास्तु में वीकेसा वजी पत्रावली दिनांक 28/3/25 को पेश की
	28/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पत्रा उपा वास्तु में वीकेसा वजी पत्रावली दिनांक 28/3/25 को पेश की
	3/4/25	पत्रावली पेश हुई। वीकेसा वजी आज्ञा दिनांक 4/4/25 को पेश है।
	4/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पत्रा उपा पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अक्लोक कति व वकील उमय पत्रा की वृत्त का मनम कति पर एम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आवासीय प्लॉट है प्रार्थी ने प्लॉट सम्पत्ति वास्तु कार्य परताविलान पेश नहीं किया है अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वामिना को अंतर्गत कार्ड है रिकार्ड (वातेदार को निषेधाज्ञा से पाकण्डम किता जा सकता है। प्रार्थी/वादी ने घोषणा व स्वाधी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जिसका निर्णय साक्ष्य सबूत व दस्तावेजों के आधार पर किता जायेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र वास्तु आख्या निषेधाज्ञा स्वाधी किता जाये। प्रार्थी वकील से कठ वकील कति वकील दाखिलदस्ता है बुनामगण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (सांगानेर)